



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939

No. 1260]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

का.आ. 1423(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार उक्त सारणी के कॉलम (3) में तदनुसूची प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड एतद्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	किमी में खंड
(1)	(2)	(3)
209	पोल्लाची – कोयंबटूर खंड (तमिलनाडु राज्य में)	किमी 123.550 से किमी 150.400

[फा. सं. एनएच-14013/6/2014-पीएण्डएम(पार्ट)]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएण्डबी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2017

S.O. 1423(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of National Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
209	Pollachi-Coimbatore Section (In the State of Tamil Nadu)	Km 123.550 to Km. 150.400

[F. No. NH-14013/6/2014-P&M(pt)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

का.आ. 1424(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-7 के हैदराबाद - बेंगलुरु खंड के किमी 9.4 से किमी 22.300 तक को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने से संबंधित अभी तक के सभी पूर्ववर्ती आदेशों/अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने हेतु बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

“उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
22.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 (नई रारा सं. 32, 132, 38, 83 और 183) [चेन्नै – त्रिची – डिंडीगुल खंड के किमी 27.8 से किमी 421.650 और किमी 2.750 से किमी 73.40 (डिंडीगुल – थेनी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 45ए (नई रारा सं. 32 और 332), सं. 47 (नई रारा सं. 544) किमी 141/0 से आरंभ होने वाला और किमी 171/200 पर पुनः मिलने वाला कोयंबटूर बाइपास, सं. 49 (नई रारा सं. 87 और 85), [किमी 5.000 से 118.795 किमी तक (मदुरै – परमाकुडी – रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], और किमी 36.00 से किमी 64.00 और किमी 80.00 से किमी 96.00 (मदुरै – टेनी – टीएन/केरल सीमा खंड), सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [किमी 0.000 से किमी 218.200 (नागापट्टिनम – तंजावूर – त्रिची – करूर खंड) तक खंड को छोड़कर] और [किमी 323.850 से किमी 380.000 (कंगायमपलयम – मेत्तूपलयम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 207 (नई रारा सं. 648), सं. 208 (नई रारा सं. 744) [किमी 163.000 से किमी 231.600 (तिरुमंगलम – राजापलयम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 209 (नई रारा सं. 83) [किमी 123.550 से किमी 150.400 (पोल्लाची – कोयंबटूर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 10.000 से किमी 174.000	तमिलनाडु राज्य सरकार

(त्रिची - करईकुडी - देवाकुट्टई रास्ता - करईकुडी - रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 219 (नई रारा सं. 42), सं. 226 (नई रारा सं. 135) (पेरांबलूर - पेराली - कीलापालूर - अरियालूर - कुन्नम - तिरुवईयारू - कांडियूर - तंजावूर खंड), सं. 230 (नई रारा सं. 85), सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38), सं. 381 और सं. 532 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं।
--

[फा. सं. एनएच-14013/6/2014-पीएण्डएम(पार्ट)]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएण्डबी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 795, दिनांकित 10 मार्च, 2017 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2017

S.O. 1424(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
22	So much of National Highway No.45 (New NH No. 32, 132, 38, 83 and 183 [excluding from Km 27.8 to 421.650 of Chennai-Trichy-Dindigul Section and from Km 2.750 to Km. 73.40 (Dindigul-Theni Section], No. 45A (New NH No. 32 and 332), No.47 (new NH No. 544) Coimbatore bypass commencing from Km 141/0 and rejoining at Km 171.200, No.49 (New NH No. 87 and 85) [excluding from Km. 5.000 to Km. 118.795(Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram section)], and from Km 36.00 to Km 64.00 and from Km 80.00 to Km. 96.00 (Madurai-Theni-TN/KL border section)], No.67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding from Km. 0.000 to Km. 218.200] (Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur section) and [excluding from Km 323.850 to km 380.000 (Kangayampalayam-Mettupalayam section)], No.207 (New NH No. 648), No.208 (New NH No. 744)[excluding from Km 163.000 to Km 231.600 (Thirumangalam-Rajapalayam Section)], No. 209 (New NH No. 83) [excluding from Km 123.550 to Km 150.400 (Pollachi-Coimbatore Section)] , No. 210 (New NH No. 336 and 536)[excluding from km. 10.000 to km. 174.000 (Trichy-Karaikudi-Devakottai-Rastha-Karaikudi-Ramanathapuram section), No.219 (New NH No. 42), No.226 (New NH No. 135) (Perambalur- Perali- Keelapalur- Ariyalur-Kunnam- Thiruvaiyaru-Kandiyur-Thanjavur section), No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38), No. 381 and No. 532 as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu

[F. No. NH-14013/6/2014-P&M(pt)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide Gazette notification No. 1017 dated the 28th March, 2017.